

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग


फॉर्मांक:- एफ 1(1)(4) आप्रसादा/सामन्य/2011/ 5617-42 जयपुर, दिनांक 3.5.12

अधिसूचना

जिला कलेक्टरों से प्राप्त खरीफ रास्त 2068 (सन् 2011) की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एफेल्टेल एरियाज (सर्पेशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एकट. 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के निम्नलिखित जिलों के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 रो 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित ग्रामों में इस अधिसूचना के प्रबंधित होने से 15 जुलाई 2012 तक लागू रहेंगे:-

क्र.सं.	नाम जिला	अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की संख्या
1.	अजमेर	303
2.	बांसवाड़ा	837
3.	बाड़मेर	315
4.	झुगरपुर	985
5.	प्रतापगढ़	375
6.	जयपुर	140
7.	नागौर	13
कुल ग्राम		2968

राज्यपाल की आज्ञा से,

2011

 (अमरि कुमार)
 शासन सचिव